निरीक्षण आख्या, **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी.एम.जी.एस.वाई.) कर्णप्रयाग** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी.एम.जी.एस.वाई.) कर्णप्रयाग** के माह 08/2015 से 09/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री डी.एन. मिश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मौर्य सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मनीष श्रीवास्तव, स.ले.प.अ. के द्वारा दिनांक 24.08.2015 से 03.09.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 05/2014 से 07/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 08/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/अधिशासी अभियंता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री विश्वम्भर सिंह रावत	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

अधीक्षण अभियंता ने खंड का गत निरीक्षण माह 04/2015 में किया।

खंड के भंडार तथा यंत्र सयंत्र लेखों की अर्धवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह मार्च शून्य एवं सितम्बर 2015 में हुई।

खंड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 09/2016 के अंत में।

(क) प्रकीर्ण अग्रिम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नकद परिशोदन - शून्य

(घ) निक्षेप - शून्य

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)
82/2012-13	------	2
16/14-15	------	1,2,3
161/15-16	1	1

(ब) सतत् अनियमिततायें - शून्य

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) - शून्य

(द) बजट

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना			बचत
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	बचत(+)आधिक्य(-)	आवंटन	व्यय	आधिक्य	
13-14	00	00	84.11	82.68	1.42	3363.95	3281.38	00	82.56
14-15	00	00	89.65	88.24	1.41	3650.25	3464.44	00	185.81
15-16	00	00	94.15	92.53	1.61	3274.93	2998.93	00	276.00

1(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र.....

इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकारी क्षेत्र बताया जाय (इकाई मार्ग निर्माण कार्य करती है इसका अधिकार क्षेत्र कर्णप्रयाग है।

(ii) (ब) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत (अ) केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
13-14	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	00	3363.95	3281.38	82.56
14-15		00	3650.25	3464.44	185.81
15-16		00	3274.93	2998.93	276.00

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्षों से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय(

(iii) इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना (स्रोत बताया जाय) ..... व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई, को बजट आवंटन भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है यह इकाई (ए) श्रेणी में आती है के अंतर्गत इकाई आती है जिस श्रेणी), उसे इंगित किया जाये की है विभाग (का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः (1) सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

शासन, देहरादून (2) मुख्य अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. गढ़वाल क्षेत्र, स्तर-2 इंदिरानगर देहरादून, (3) अधीक्षण अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई., गोपेश्वर स्थापित, गोचर चमोली, (4) अधिशासी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. कर्णप्रयाग (संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में .....जिन इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन) को आच्छादित लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन-EE, RWD (PMGSY), कर्णप्रयाग निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा में माह ..... मार्च 16 ..... को विस्तृत जांच चयनित किया।

योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जायका विस्तृत (1) कुनार से घेष मो.मा. (2) बूंगी मोहचौटी से बहुवावणा मो. मा. (3) धराली-कुराड मो.मा. (4) नंदकेसरी-ग्वालदम मो.मा. (5) सिमली-संकोट मो.मा. विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया) अधिकतम व्यय के आधार पर किया (गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन बनाये गये नियंत्रक 149 कर्तव्य) महालेखापरीक्षक के, शक्तियों तथा सेवा की शर्ते अधिनियम (,) 1971 डी पी सी एक्ट, (1971 की धारा ..... 13.....,लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, तथा लेखापरीक्षण मानकों के 2007 के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि से दिनांक 09/2016 तक का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह तक की गई। शून्य तथा शून्य।

4. फार्म 51: माह उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) तक कार्यालय महालेखाकार ..... देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः

भाग प्रथम - } लागू नहीं है।
भाग द्वितीय - }

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह के अन्त .....

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम
(ख) सामग्री क्रय
(ग) नगद परिशोधन - शून्य
(घ) निक्षेप
(ड) भण्डार

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- निविदा प्रक्रिया का पालन न किये जाने एवं एकल निविदा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ` 83.15 लाख अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रस्तर 12,13 एवं 27 के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम तीन निविदाएं प्राप्त हो तथा निविदाताओं को निविदा प्रस्तुत करने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फेज - XII के अंतर्गत जनपद चमोली में बूँगीधार मेहलचौरी से बहुवाबाण मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन की स्वीकृति भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान की गयी (फरवरी 2014) मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा ` 947.86 लाख (` 884.98 लाख निर्माण लागत + ` 62.88 लख पाँच वर्षीय अनुरक्षण) की प्रदान की गयी (मार्च 2014) उक्त धनराशि पर अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी (जुलाई 2014) खण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाएं दिनांक 21.05.2014 को आंमत्रित की गयी तथा निविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28.05.2014 निर्धारित की गयी जबकि समाचार पत्रों में निविदा 23 मई 2014 को प्रकाशित की गयी। निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करने हेतु केवल एक सप्ताह (07 दिन) का समय दिया गया जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हो सकी। मोटर मार्ग निर्माण हेतु टू-विड प्रणाली के अंतर्गत निविदाएं आंमत्रित की गयी तथा पार्ट - I की तकनीकी विड में केवल श्री उमा शंकर सिंह की निविदा पार्ट - II की वित्तीय विड के लिए अर्ह पाई गयी। ठेकेदार की वित्तीय दिनांक 12.06.2014 को खोली गयी। मै. उमा शंकर सिंह द्वारा कार्य हेतु प्रस्तुत एकल निविदा स्वीकृत कर ली गयी। निविदा का मूल्य ` 10,24,51,249.10 था जो कि स्वीकृति लागत से 8.88% अधिक तथा निर्माण लागत से 9.51% अधिक थी। मोटर मार्ग निर्माण हेतु ठेकेदार से दिनांक 28.07.2014 को अनुबन्ध संख्याः- 14/एस.ई./पी.एम.जी.एस.वाई./2014-15 गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार वी.ओ.क्यू. की लागत ` 9,40,99,798.30 (8,78,12,162.49 निर्माण लागत तथा ` 62,87,635.81 रखरखाव लागत) तथा अनुबंध के अनुसार निविदादाता का निविदा मूल्य ` 10,24,51,249.90 (9,61,63,614.09 निर्माण लागत + 62,87,635.81 रख-रखाव लागत) स्वीकृत किया गया। इस प्रकार निविदादाता के अनुबंध की लागत वी.ओ.क्यू. की निर्माण लागत से ` 83,51,451.60 अधिक थी। विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अधिक दरों पर एकल निविदा स्वीकार किये जाने के कारणों का उल्लेख स्वीकृत निविदा प्रपत्रों में नहीं किया गया। विभाग द्वारा अधिक दरों प्राप्त होने के बावजूद ठेकेदार से दरें कम करने हेतु नेगोसिएशन नहीं किया गया। अनुबंध के

अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 27.01.2016 थी तथा लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य जारी था तथा मोटर मार्ग निर्माण पर कुल ` 919.82 लाख व्यय किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया कि अधिक्य दरों की स्वीकृति उच्चाधिकारियों द्वार प्रदान की गयी तथा कार्य की निविदा प्रथम बार निरस्त की गयी थी। वर्तमान आमंत्रित निविदा में दो निविदाएं प्राप्त हुई थी तथा एक निविदा विड क्वालीफाई नहीं होने के कारण एकल निविदा स्वीकृत की गयी। अधिप्राप्ति नियमावली के पैरा 59(2)(दो) के अंतर्गत निविदादाता से नेशोसियेशन न किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि स्वीकृति उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदादाताओं को नियमावली के विपरीत कम समय दिये जाने के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने हेतु निविदादाताओं को अपनी निश्चित प्रस्तर करने के लिए कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जाना अनिवार्य है, जबकि विभाग द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु नियमावली के विरूद्ध केवल एक सप्ताह का समय दिया गया। प्रथम वार निरस्त की गयी निविदा आमंत्रण संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज खण्ड द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किये जा सके तथा यह तथ्य इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5 मार्च 2014 द्वारा उक्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी तदुपरान्त संबंधित विभागाध्यक्ष को अवगत कराया गया। अतः विभाग द्वारा 6 मार्च 2014 को प्रथम वार निविदा खोलने संबंधी तथ्य की पुष्टि नही होती। विभाग द्वारा एकल निविदा स्वीकार किये जाने के कारणों का कोई उल्लेख निविदा स्वीकृत प्रपत्रों में नहीं किया गया।

इस प्रकार निविदा प्रक्रिया का पालन न किये जाने एवं अधिक मूल्य पर एकल निविदा स्वीकृत किये जाने के कारण ` 83.15 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विभागीय उदासीनता के कारण ` 164.70 लाख व्यय के पश्चात 5 वर्ष की अवधि से 1521 निवासियों को पुल के लाभ से वंचित रखा जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज - 8 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या पी 17024/27/2010-आर सी दिनांक 10 सितम्बर 2010 एवं उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 1510/पी 1-19/यू आर आर डी ए/10, दिनांक 5/अक्टूबर 2010 के द्वारा डुंगी - रतगाँव मोटर मार्ग के किमी 4 में 36 मी स्पान का स्टील गार्डर मोटर पुल का निर्माण कार्य हेतु (पैकेज संख्या UT-03-15) ` 111.97 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2677 (I)/37 यातायात - पी.एम.जी.एस.वाई./ए.डी.बी./11 दिनांक 25.08.2011 के द्वारा ` 105.44 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस पुल के निर्माण से दो गावों को लाभान्वित होना था इन गांवों की जन संख्या 1521 थी, इसी सड़क पर किमी 1 पर दूसरा पुल जिसकी तकनीकी स्वीकृति ` 101.90 लाख थी दोनों पुलों के निर्माण हेतु दिनांक 15/01/2011 को अनुबंध संख्या 18/SE-PMGSY/ADB/2010-11 दिनांक 15.01.2011 का गठन किया गया था। कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.01.2011 थी। एवं कार्य पूर्ण की तिथि 14.01.2012 थी, अनुबंध की धनराशि ` 209.55 लाख थी इसमें दो पुलों का निर्माण किया जाना था। किमी 1 पर एवं किमी 04 पर क्रमशः ` 101.90 लाख + ` 105.44 = ` 207.34 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ` 164.70 लाख धनराशि व्यय होने के पश्चात भी प्रथम पुल का ही निर्माण हुआ है प्रथम पुल पर ` 86.77 लाख ही व्यय हुआ है अनुबंध के अनुसार सभी कार्य मदों को पूर्ण नहीं किया गया है परंतु एम.पी.आर. में प्रथम पुल को पूर्ण दर्शाया गया है, द्वितीय पुल पर ` 77.93 लाख व्यय मार्च 2013 तक किया जा चुका है परंतु पुल का निर्माण पूर्ण होने की तिथि के 05 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं हो सका है, विभाग की इस उदासीनता की वजह से दो गावों के 1521 लोग पुल निर्माण से होने वाले लाभ से वंचित है, जबकि सड़क निर्माण स्टेज 1 पर ` 103.02 लाख तथा स्टेज - 2 पर ` 229.09 लाख व्यय करके सड़क निर्माण कार्य माह-वर्ष सितम्बर 2014 में पूर्ण कर लिए गए थे अतः ` 164.70 लाख व्यय के पश्चात भी दो गांवों के 1521 लोग पुल से मिलने वाले लाभ से वंचित थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2013 में बादल फटने के कारण पुल ध्वस्त हो गया था, वर्तमान में कार्य प्रगति में है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इन पुलों के पूर्ण होने की तिथि 14.01.12 थी। यदि इस तिथि तक पुल का निर्माण नहीं हुआ तो ठेकेदार के विरूद्ध पेनल्टी लगानी चाहिए थी परंतु ठेकेदार के विरूद्ध 5 वर्ष बीतने के बाद भी कोई पेनल्टी नहीं लगायी गई। पुल निर्माण कार्यों पर उदासीनता के कारण `

164.70 लाख व्यय के पश्चात भी दोनों गांवों को पुल से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो सके है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- ` 1164.62 लाख की धनराशि का अधोमानक सड़क निर्माण।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार (जनवरी 2015) के प्रस्तर 3.13 एवं 3.14 के अनुसार स्टेज - II के सड़क निर्माण के क्रास ड्रेनेज तथा पानी की निकासी हेतु पक्की नालियों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-X के अंतर्गत जनपद चमोली में पैकेज सं. - यू.टी.-03-22 के अंतर्गत नंदकेसरी ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी. 01 से जौला मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक - 2306/पी.-3-14/यू.आर.आर.डी.ए./13, दिनांक – 12.03.2013 द्वारा एवं पत्रांक – 931/03(91)/याता/2012-13 दिनांक 28.03.2013 द्वारा मार्ग के स्टेज-II का कार्य पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कार्य हेतु ` 486.05+25.11 = ` 511.11 लाख (` पाँच करोड़ ग्यारह लाख सोलह हजार मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त थी। उक्त कार्य हेतु पत्रांक - 177/16-याता/पी.एम.जी.एस.वाई./12 दिनांक 30.01.2013 द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गयी, जिसमें मै. आर.सी.सी. डेवलपर्स लि. मेरठ का चयन किया गया। विभाग एवं मे. आर.सी.सी. डेवलपर्स लि. के मध्य अनुबंध सं. - 32/S.E.-PMGSY/2013-14, दिनांक 08.06.2013 द्वारा ` 480.52 लाख के अनुबंध का गठन किया गया, जिसमें 07.09.2014 को कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की गयी एवं ठेकेदार द्वारा दिनांक 18.06.2015 को कार्य पूर्ण किया गया, पक्की नाली का निर्माण अनुबंध के अनुसार 4000 मी. में कराया जाना था परंतु मात्र 1997 मी. ही कराया गया है अर्थात कुल ` (2003×500) 10.01 लाख की धनराशि के नाली का निर्माण नहीं किया गया तथा ठेकेदार को कुल ` 462.18 लाख का भुगतान किया गया था, एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज - 10 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या पी 17029/2/2012-आर सी दिनांक 08.02.2013 एवं उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 2306/पी 3-14/यू.आर.आर.डी.ए./13, दिनांक 12.03.2013 के द्वारा थारली से कुराड मोटर मार्ग (12 मीटर स्पान टी बीम सेतु सहित) स्टेज - 2 का कार्य पाँच वर्ष के अनुरक्षण सहित कार्य हेतु ` 714.46 + 48.17 = 762.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में मुख्य अभियंता के पत्रांक 943/03 (97) यातायात/12-13 दिनांक 30.03.2013 के द्वारा ` 762.63 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। सड़क एवं पुल निर्माण हेतु दिनांक 24.06.2013 को अनुबंध संख्या 34 SE-PMGSY/2013-14 दिनांक 24.06.2013 का गठन किया गया था। कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.06.2013 थी एवं कार्य पूर्ण की तिथि 26.12.2014 थी, अनुबंध की धनराशि ` 703.36 लाख थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आगणन एवं अनुबंध के अनुसार सड़क के किनारे पानी की निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण 16890 मीटर प्रावधानित था परंतु नाली का निर्माण मात्र 5409 मीटर ही किया गया है, अर्थात 16890-5409= 11481 मीटर नाली

निर्माण कार्य कम किया गया इस कारण से 11481× 405= ` 46.49 लाख धनराशि इस मद में कम व्यय हुई, और सड़क का निर्माण कार्य अधोमानक किया गया क्योंकि 16.89 किमी. के सापेक्ष मात्र 5.40 किमी. में ही नाली निर्माण किया गया था तथा ठेकेदार को कुल ` 702.44 लाख का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त दोनों कार्यों में कुल (16890+4000) 20,890 मी. पक्की नाली का निर्माण प्रावधानित था, जब की मात्र (5409+1997) 7406 मी. नाली का निर्माण किया गया था, अतः कुल 13484 मी. लम्बाई में एवं ` 56.50 लाख (46.49+10.01) की धनराशि की पक्की नाली का निर्माण नहीं कराया गया था, एवं दोनों कार्यों पर कुल ` 1164.62 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था।

इस विषय में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि मोटर मार्ग के शेष लंबाई में कच्ची नाली का निर्माण कराया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधानों के अनुसार सड़क निर्माण में क्रास ड्रेनेज तथा पानी की निकासी हेतु पक्की नालियों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है, इस प्रकार क्रास ड्रेनेज तथा पानी की निकासी हेतु पक्की नालियों का निर्माण न किए जाने के कारण सड़क का अधोमानक निर्माण किया गया था।

अतः ` 1164.62 लाख की धनराशि का अधोमानक सड़क निर्माण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण ` 1.45 लाख का अधिक भुगतान।

वेतन समिति उत्तराखण्ड के पत्रांक सं. 395/XXX-VII(7)2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008, के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों की दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिस के अनुसार छठवें वेतन आयोग की स्वीकृति शासनादेश के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई निर्धारित की गई, जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि का दिनांक 01.01.2005 या जुलाई हो उस पर 1.86 गुणांक या फिटमैन्ट तालिका में से जो अधिक हो उस पर वेतन निर्धारण कर के ग्रेड वेतन जोड़ने के बाद 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि देते हुये 01.01.2006 को वेतन निर्धारण किया जाना चाहिये।

श्री विश्वम्भर सिंह रावत (अधि.अभि.) एवं श्री बल्लभ सिंह की सेवा पुस्तिका की जांच करने पर यह पाया गया कि श्री विश्वम्भर सिंह रावत की वर्ष 01.01.2006 की एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि ` 620 दिया गया। इसी प्रकार श्री बल्लभ सिंह रावत को वर्ष 07/2008 में ` 280 की वेतन वृद्धि अधिक देने के कारण माह 07/2016 तथा उक्त दोनों अधिकारी/कर्मचारी की कुल ` 1.52 लाख त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के कारण अधिक वेतन का भुगतान किया गया, जिसके विस्तृत विवरण की गणना संलग्नक में की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने या विभाग ने उत्तर में स्वीकार करते हुये कहा कि प्रकरणों पर पुनः जांच कर उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार पुनः वेतन निर्धारिण की कार्यवाही कर दी जायेगी।

अतः ` 1.52 लाख त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप अधिकारी/कर्मचारी को अधिक भुगतान किया गया था, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

श्री बल्लभ सिंह रावत (कनि. सहायक)

Date	Due Pay	GP	Total	Drown Pay	GP	Total	DA Due	DA Drown	Difference Pay	Difference DA	Total	No of Month	Grant Total
1.7.08	7630	1900	9530	7620	1900 +(290)	9810	1524	1569	280	45	325	02	650
1.9.08	7920	2000	9920	8210	2000 (310)	10520	1587	1683	600	96	696	04	2784
1.1.09	7920	2000	9920	8210	2000 (310)	10520	2182	2314	600	132	732	06	4392
1.7.09	8220	2000	10220	8520	2000 (320)	10840	2759	2926	620	167	787	06	4722
1.1.10	8220	2000	10220	8520	2000 (320)	10840	3577	3794	620	217	837	06	5022
1.7.10	8530	2000	10530	9170	2000	11170	4738	5026	640	288	928	06	5568
1.1.11	8530	2000	10530	9170	2000	11170	5370	5696	640	326	966	06	5796
1.7.11	8850	2000	10850	9510	2000	11510	6293	6675	660	382	1042	06	6252
1.1.12	8850	2000	10850	9510	2000	11510	7052	7481	660	429	1089	06	6534
1.7.12	9530	2400	11930	10230	2400	12630	8589	9093	700	504	1204	06	7224
1.1.13	9530	2800	12330	10230	2800	13030	9864	10424	700	560	1260	06	7560
1.7.13	9900	2800	12700	10630	2800	13420	11430	12078	720	648	1368	06	8208
1.1.14	9900	2800	12700	10630	2800	13420	10630	11430	720	800	1520	06	9120
1.7.14	10290	4200	14490	10630	4200	14830	15504	15868	340	364	704	06	4224
1.1.15	10290	4200	14490	10630	4200	14830	16373	16759	340	386	726	06	4356
1.7.15	10730	4200	14930	11080	4200	15280	17766	18183	350	417	767	06	4602
1.1.16	10730	4200	14930	11080	4200	15280	18662	19100	350	438	788	06	4728
1.7.16	11180	4200	15380	11540	4200	15740	19225	19675	360	450	810	03	2430
													94,172

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार को ` 9.41 लाख का अदेय भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 9.3 के अनुसार सड़क निर्माण में मिट्टी एवं मलबे ढुलान के निस्तारण हेतु कोई अलग से लीड चार्जेज (Lead Changes) ठेकेदार को भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण (पी.एम.जी.एस.वाई. के वाउचर्स/अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मै. रि डिवलप लिमिटेड (M/s RCC Developer Limited Construction) की चालू देयकों माह 10/2015 में ` 4.70 लाख एवं माह 06/2016 की ` 4.70 लाख कुल ` 9.41 लाख का भुगतान मलबे के ढुलान एवं निस्तारण हेतु दिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

Name of Contractor	Name of work	Voucher No.	Executed up to date	Rate	Payment to Contractor
M/s RCC Developer Limited Construction	Construction and maintenance of tharili to kund motor marg	16/30/1/2016	5093.30	92.43	470773.72
M/s RCC Developer Limited Construction	Construction and maintenance of tharili to kund motor marg	2/22/9/2015	5093.30	92.43	470773.72
				Total	**941547.44**

इस संबंध में जब विभाग से पूछा गया को विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि अवशेष मलबा निस्तारण हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं थी, किन्तु वर्षाकाल में आये मलबा को आवासीय बस्ती से निस्तारित करना अति आवश्यक था, जिस कारण मलबा निस्तारण में ढुलान हेतु ठेकेदार को भुगतान किया गया। इस संबंध में उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त की गयी है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिशा निर्देशों के अनुसार ठेकेदारों को अलग से कोई भी Land Charge मलबा ढुलान हेतु नहीं दिया जाना था।

अतः ` 9.41 लाख का अनुचित लाभ प्रदान करने के अदेय भुगतान कर ठेकेदार का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण (निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियाँ में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य जो (यदि कोई हों) लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखापरीक्षा), देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, आर.ई.एस., पी.एम.जी.एस.वाई. कर्णप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः-

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
1.	विश्वम्भर सिंह रावत	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता आर.ई.एस./पी.एम.जी.एस.वाई., कर्णप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।(संबंधित क्षेत्र का नाम)

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।--
शून्य

<u>भाग-पंचम</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी.एम.जी.एस.वाई.) कर्णप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)